5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(61)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

रा प्र0 क0 /2015–16 निग-3771-I16

426

श्री ओ.पी. शर्मा (एड०) 02-11-16

1–दादूराम पिता रामदुलारे लोध उम्र 61 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

2-11-16

2– राजाराम पिता रामदुलारे लोध उम्र 57 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

O. P. Sharma Adv. 02.11.16

3– लडकू पिता रामदुलारे लोध उम्र 73 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

4– गोरा पिता दादूराम लोध उम्र 40 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

5– सुरेश कुमार पिता राजाराम लोध उम्र 35 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

6– प्रमेश पिता लडकू लोध उम्र 42 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0 ———— आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1– राममिलन पिता टिडिया लोध उम्र 70 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम खोरा तहसील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3771-एक/2016 जिला पन्ना दादूराम विरूद्ध राममिलन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 63/अ-19/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 01-12-1986 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है ।	

आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य